उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
मौलाना अली मियाँ मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर लखनऊ–226008
ई–मेल आई.डी. : **hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com**
वेबसाइट : **hajcommittee.up.gov.in**

पत्रांक–जी–।।/343/एस0एच0सी0/लखनऊ/2026 दिनांक 30 जुलाई 2026

–:प्रेस विज्ञप्ति :–

हज–2027 हेतु आवेदन करने वाले के हज यात्रियों के चयन हेतु आज दिनांक 30.07.2026 को हज कमेटी ऑफ इण्डिया, हज हाउस, मुम्बई द्वारा ऑनलाइन कुर्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश से आवेदन करने वाले 22510 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। जिसकी सूचना हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा सभी यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड फोन नम्बर पर उपलब्ध करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त सभी चयनित हज यात्रियों की सूची वेबसाइट https://www.hajcommittee.gov.in व www.hajcommittee.up.gov.in पर यात्रियों की सुविधा हेतु अपलोड कर दी गयी है। इस सूची में कवर नम्बर व बैंक रिफरेंस नम्बर भी अंकित कर दिया गया है ताकि चयनित आवेदकों को प्रथम किश्त रु0 1,52,300/– जमा करने में कोई असुविधा न हो। धनराशि जमा करने से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः–

1. प्रत्येक प्रोवीज़नली चयनित आवेदक को प्रति यात्री प्रथम किश्त के रुप में धनराशि रु 1,52,300/– दिनांक 10.08.2026 तक हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई के यूनियन बैंक व भारतीय स्टेट बैंक इण्डिया खाते में जमा करना होगा।
2. हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई के बैंक खाते में धनराशि जमा करने हेतु पे–इन–स्लिप वेबसाइट https://www.hajcommittee.gov.in व www.hajcommittee.up.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
3. चयनित हज आवेदक निर्धारित धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट https://.hajcommittee.gov.in व हज सुविधा एप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।
4. धनराशि जमा करने के उपरान्त प्रत्येक हज यात्री को धनराशि जमा की पे–इन–स्लिप स्वतः हस्ताक्षरित हज आवेदन फार्म, घोषणा पत्र, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट हेतु घोषणा पत्र, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट (जो वेबसाइट पर उपलब्ध है) हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई के पोर्टल पर अपने लॉग–इन आई0डी0 से अपलोड करना होगा।
5. यदि किसी हज आवेदक को उक्त प्रपत्र अपलोड करने में कोई असुविधा होती है तो ऐसे आवेदको हेतु उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यालय पर भी प्रपत्रों को अपलोड करने की व्यवस्था की गयी है। ज़िलों में सम्बन्धित यात्री हज ई–सुविधा केन्द्र के माध्यम से भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

Digitally signed by MOHD TARIQ
Date: 30-07-2026 14:34:22

(मोहम्मद तारिक़)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रशिक्षक, उ0प्र0/हज ई–सुविधा केन्द्र, उ0प्र।
9. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(मोहम्मद तारिक़)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी